THE RICE-MILLING INDUSTRIES (REGULATION) REPEAL BILL, 1997

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): इस के लिए मंत्री जी सारा दिन बैठे रहे हैं। मंत्री जी, आप बिल मूव कीजिए। इस में श्री गोविन्दराम मिरी, श्री ब्रतीन सेनगुप्ता और श्री थलावै सुन्दरम के नाम हैं। मंत्री जी आप बोलिए।

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move:

> **That the Bill to repeal the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.**

Sir, this Rice milling Industry (Regulation) Act, 1958 was enacted at a time when there were shortages in the country and it was desired that the rice milling industry be regulated in order to ensure adequate supply of rice and also to ensure that modern equipments are established in our country.

From 1958 till now, this industry has developed in a big way. In 1958, we hardly had any modern rice mills in this country and today, the figure has reached 34,688 in different parts of the country. Most of these mills are modern and production of rice has increased.

We have now liberalised our economy and as a result it is felt that there is no need to regulate the rice milling industry any more. It is now expected that those people who wish to establish rice-milling mills can do so without any fetters and this Bill, which has been a great hurdle in the development of rice-milling industry, be done away with. That is the short purpose of moving this Bill in the house. I am sure that Members of the House will agree with me that the time has come to repeal the Act, which is in force now. I, therefore, request the House to agree to repeal this Act. This is a very short Bill and I do not think that much discussion is required on this Bill.

Thank you very much.

The question was proposed.

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): श्री गोविन्दराम मिरी। कुछ खास बातें हों, तो वह आप बोल दीजिए।

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां मंत्री जी लाए हैं रिपील करने का, वह काफी विलंब से लाए हैं। अच्छा होता, यह बिल पहले लाया जाता। हमारे देश में एक तो कानून की वैसे ही अधिकता है और कई कानून ऐसे हैं, जो कि आज के दिन उपयोगी नहीं हैं, समीचीन नहीं हैं। यह आप बिल विलंब से लाए, खैर देर आयद दुरुस्त आयद। यह एक अच्छा बिल लाया गया है।

महोदय, आज हम इक्कसवीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज का युग जो है, वह ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का है। एक जमाना था, जब धान की कुटाई मुसलों से होती थी, गांव में जो भी पारंपरिक तरीके थे उससे होती थी। उससे समय अधिक लगता था, श्रम अधिक लगता था, उत्पादन कम होता था, जो उसकी क्वालिटी होती थी वह ठीक नहीं होती थी, पालिश ठीक से नहीं हो सकती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कि चावल अधिक मात्रा में मिले, अच्छी क्वालिटी का मिले, उसके जो सह-उत्पादन हैं बरान या हस्क, इत्यादि वह भी अच्छी क्वालिटी के मिलें ताकि वह तेल निकालने के काम आ सकें। चावल मिलों के आधुनिकीकरण का काम वर्ष 1970 में प्रारंभ किया गया। इसके पहले चरण में राइस मिल रेगुलेशन एक्ट, 1958 एवं राइस मिल इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग एक्ट, 1959 में संशोधन किया गया। इसके तहत प्रारंभ में सेलर-कम-हॉलर और मल्टीपरपज आय लगाने का कार्य आधुनिकीकरण में शामिल किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि आधुनिक राइस मिलों की संख्या, जैसा मंत्री जी ने बताया, 34688 हो गई। इसी तरह राइस ब्रान प्रोसेसिंग की मात्रा एक दफा में 1.87 लाख टन से बढ़कर आज 1995-96 तक 32.7 लाख टन पहुंच गई है।

महोदय, यह जो इनके वैधानिक उपाय हैं, इसके अलावा दो रिसर्च सेंटर भी माननीय मंत्री महोदय के जरिए आधुनिकीकरण के कार्य में शामिल हैं—पोस्ट हारवेस्ट टैक्नोलोजिकल सेंटर आई०आई०टी०, खड़कपुर और पेड्डी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर तन्जावुर, तमिलनाडु। इनके माध्यम से रिसर्च एंड डवलपमेंट की गतिविधियों को प्रायोजित करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा राइस मिल का जो आधुनिकीकरण का कार्य है,

उसके विस्तार और ट्रेनिंग के लिए 13 राज्यों को लिया गया है—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में दो हैं, पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब, मणिपुर, असम।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश के उस हिस्से से आता हूं, जिसे छत्तीसगढ़ कहते हैं और जहां चावल का उत्पादन बहुत होता है। हमारा जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, वह "धान का कटोरा" कहलाता है। वहां अनेक राइस मिल हैं। यह जो कानून था, उसमें इतनी कठिनाई होती थी कि उत्पादन ठीक से नहीं मिलता था। एक प्रकार से हम कहें कि कंट्रोल राज था।.....

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): जो कानून है, उससे कठिनाई थी, न? इसलिए तो कानून को रिपील कर रहे हैं अभी।

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, इसलिए तो मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं कि यह जो बिल लाया गया है, इसको पहले लाना चाहिए था। यह जो बिल आया है, अच्छा बिल है। मैं इसमें केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यहां एक ओर आप कानूनी दांवपेच से किसानों को मुक्त कर रहे हैं, इंस्पेक्टर राज से मुक्त कर रहे हैं क्योंकि जितना जितना कंट्रोल, लगता है, उतना उतना भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, कोई न कोई नुक्स निकालकर उसके काम को अटकाया जाता है। इसमें जैसे जैसे समय बीतता गया, अध्ययन होता गया, इसमें सुधार आता गया। यह जो कृषि अनुसंधान केन्द्र हैं, चावल अनुसंधान केन्द्र हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में एक कृषि विश्वविद्यालय है रायपुर में, एक जबलपुर है मध्य प्रदेश में। यहां के चावल की जो क्वालिटी है, धान की जो क्वालिटी है, हो सकता है कि अन्य जगहों पर न हो। लेकिन आज चावल का उत्पादन सीमित क्षेत्रों में ही न होकर के ऐसी जगहों पर भी हो रहा है, जहां पहले कभी नहीं होता था, जैसे पंजाब में या जम्मू-कश्मीर में पहले चावल का उत्पादन नहीं होता था, आज वहां भी चावल का उत्पादन हो रहा है। मेरा ऐसा कहना है कि एक तो इससे किसानों को अच्छा माल मिलेगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उत्पादन अच्छा होगा। पहले जो हम पारम्परिक तरीके से उत्पादन करते थे तो उससे 100 में से 60 या 65 प्रतिशत प्रति क्विंटल हमको यील्डिंग मिलता था लेकिन मुझे आशा है कि आधुनिकीकरण के कारण 80-85 प्रतिशत तक का यील्डिंग हमको मिलेगा। इससे जहां एक और किसानों को फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ लोगों को सस्ता और सुलभ चावल मिलेगा और पी०डी०एस० के माध्यम से आप चावल डिस्ट्रिब्यूट करेंगे क्योंकि अनेक जगह ऐसी हैं जहां के लोगों का मुख्य भोजन सिर्फ चावल है।

महोदय, हमें एक बात का डर है और वह यह है कि ग्लोबलाइजेशन या लिब्रलाइजेशन के नाम पर बाहर की जो कम्पनियां हैं और उन विदेशी कम्पनियों को हमारी सरकार जिस तरह से आमंत्रित कर रही है, कहीं ऐसा न हो कि जैसे हल्दी, नीम और भारतीय जड़ी-बूटियां का पेटेंटीकरण हो रहा है, ऐसा न हो कि आधुनिकीकरण के नाम पर, माडर्नाइजेशन के नाम पर, लिब्रलाइजेशन के नाम पर हमारे देश के मिल वालों को हतोत्साहित करके बाहर वालों को लाकर यहां कब्जा करा दिया जाए जिससे यहां के लोगों को लाभ न मिलकर बाहर वालों को मिले। तो इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। उनको अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, इस बात को आप ध्यान में रखें।

इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो भारतीय मानक ब्यूरो है, उसके द्वारा जो निर्धारित स्टेंडर्ड है, उस स्टेंडर्ड का चावल हमको मिले अच्छा चावल मिले, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

आप जो बिल लाए हैं, उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने इसको रिपील किया है, वैसे ही आने वाले समय में और भी खाद्य पदार्थों पर कंट्रोल है, शूगर या अन्य पदार्थों में है, उनको भी आप रिपील करेंगे ताकि लोगों को सस्ते भाव पर और उचित मात्रा में सामान मिले जिससे उनका फायदा हो। धन्यवाद।

SHRI BRATIN SENGUPTA (West Bengal): Sir, I request the Minister to just see that the use of this technology is limited not only to the rice production concentrated areas but also to the remotest areas of the country where rice production may be less in quantity and also to all the other areas of the country which are technologically backward. (ends)

SHRI N. THALAVANI SUNDARAM (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice Chairman. This Bill has a very limited scope. As far as our country is concerned, we have only two research centres for rice-milling industry in India. As far as Tamil Nadu is concerned, there is a paddy-processing research centre in Thanjavur for which the Government of

India sanctioned only Rs. 15 lakhs up to the ends of 1996, and another centre is in West Bengal for which an amount of Rs. 45 lakhs has been sanctioned. As far as the amount sanctioned to Tamil Nadu is concerned, it is not adequate to meet our demands. You have to enhance the amount. The amount sanctioned for the year 1996 is only Rs. 15 lakhs! As far as West Bengal is concerned, it is Rs. 45 lakhs. They are conducting M. Tech, post-doctoral courses in post-harvest technology and other short-term courses in rice-milling. Several courses are there. This amount is not adequate for these courses. hence, I request the hon. Minister to enhance the amount.

Another thing is, there are machinery manufacturing industries in Coimbatore just as they are there in Kanpur, Kharagpur, Pune and in several other areas. The grant is only Rs. 12.2 lakhs. hence, I request the hon. Minister to enhance the amount for improvement of the research industries.

SHRI DILIP KUMAR RAY: Mr. vice-Chairman, Sir, as has been pointed out by Shri Miri, this Bill was delayed. In fact, this Bill was introduced in Lok Sabha in 1995. Then Lok Sabha was dissolved during that period and this Bill lapsed. The whole process has to be followed up again. Besides everything else, we had to again seek the Cabinet's approval. We introduced this Bill on the 16th December in Lok Sabha. Lok Sabha passed it on the 22nd February. It has come to this House right now.

Sir, I will answer the points which relate to my Ministry. So far as recovery rate is concerned, it used to be 60 to 62 per cent. Shri Miri raised this point. Now with the modern mills it will comes to almost 70 to 72 per cent. So far as Shri Sengupta's point about putting up of rice mills is concerned, there will be no restriction now. Anyone can put up rice mills anywhere. I am sure rice millers and cooperative societies will put up rice mills in the remotest areas. So far as grants to Tamil Nadu are concerned, we will work it out and see to it that it is done. With these words, I would request the hon. Members to pass the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): He spoke about both Tamil Nadu and West Bengal.

श्री गोविन्दराम मिरी: आम आदमी मिल लगा सके, इसके लिए आप ग्रांट-इन-ऐड देने की मेहरबानी करें।

SHRI DILIP KUMAR RAY: Okay.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The question is:

That the Bill to repeal the Rice-Milling Industry (Regulation) Act, 1958, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall not take up clause by clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DILIP KUMAR RAY: I beg to move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): I adjourn the House till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at fifty-three minutes past six of the clock till eleven of the clock on Thursday, the 15th May, 1997.